Result Mitra Daily Magazine

सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति

➢ हालिया संदर्भ :

- 2011 में चुने गए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (SGPC) के 170 सदस्यों में से कम–से–कम 30 की मौत हो चुकी है लेकिन पिछले 13 वर्षों से चुनाव नहीं करवाए गए हैं।
- 2011 में हुए SGPC के चुनाव में शिरोमणि अकाली दल (बादल) ने जीत दर्ज की थी, लेकिन यह तब से पंजाब में हुए विधानसभा के दो चुनावों में हार चुकी है।
- आलोचकों का कहना है कि दोबारा चुनाव नहीं हो पाने के कारण ही शिरोमणि अकाली दल (बादल) के पास बहुमत है।

➢ SGPC :

- यह पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं चंडीगढ़ में मौजूद सभी सिख गुरुद्वारों की सर्वोच्च शासी संस्था है।
- इसकी स्थापना 15 नवंबर 1920 को अमृतसर में दरबार साहिब गुरुद्वारा सहित अन्य ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण गुरुद्वारों के प्रशासन के उद्देश्य से की गई थी।
- 19वीं सदी में जब पंजाब क्षेत्र में ईसाई मिशनरी की गतिविधियों में वृद्धि हो रही थी तथा हिंदू सुधार आंदोलन के लिए आर्य समाज का गठन(1857) हुआ, उसी समय सिखों द्वारा "सिंह सभा आंदोलन" शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य 'सिख विचार एवं सिद्धांतों के ह्रास' को रोकना था।

- उस दौर में दरबार साहिब सहित अन्य गुरुद्वारों का प्रबंध शक्तिशाली महंतो के हाथों में ही रहा, जिन्हें अंग्रेजों का भी समर्थन प्राप्त था।
- इन महंतों ने न केवल गुरुद्वारों को अपनी निजी जागीर माना, बल्कि सिद्धांतों के विपरीत मूर्ति–पूजा एवं दलित सिखों के प्रति भेदभाव को बढ़ावा दिया।
- इसका (SGPC) गठन सिख धर्म के सिद्धांतों के अनुसार, सिख गुरुद्वारों पर शासन चलाने के लिए अलोकप्रिय महंतों को पदस्थापित कर किया गया।
- धीरे-धीरे SGPC का नियंत्रण कई अन्य गुरुद्वारों पर भी होता गया, जिस दौरान कई हिंसक आंदोलन भी हुए।
- 1925 में अंग्रेजों द्वारा गुरुद्वारा अधिनियम पारित किया गया, जिससे SGPC को कानूनी मान्यता मिली और यह लोकतांत्रिक निकाय में परिवर्तित हो गया।

➢ चुनाव प्रक्रिया :

- SGPC में कुल 170 निर्वाचित, 15 मनोनीत एवं सिख तख्तों के 5 सदस्यों के साथ-साथ स्वर्ण मंदिर के मुख्य पुजारी शामिल होते हैं।
- 1925 के एक्ट के तहत स्थापित एक वैधानिक संस्था (गुरुद्वारा चुनाव आयोग) चुनाव करवाने के लिए जिम्मेदार है, जो सुरक्षा एवं अन्य संसाधन पंजाब सरकार से प्राप्त करती है।
- आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति गृह मंत्रालय द्वारा की जाती है, और वर्तमान में एस.एस. सरोन इसके अध्यक्ष है।
- चुनाव प्रक्रिया अन्य सामान्य आम चुनाव जैसे ही होती है।

➢ मतदाता पंजीकरण :

- इसके मतदाता भी आम चुनावों के तरह ही पंजीकृत होते हैं।
- मतदाता पात्रता रखने वाला व्यक्ति चुनाव अधिकारियों से संपर्क कर अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत करवा सकता है।
- मतदाता बनने के लिए व्यक्ति को निम्न शर्तें – वर्णित एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना होता है–

1. वे बिना कटे बाल रखते हैं,
2. वे हलाल मांस नहीं खाते हैं,
3. वे तंबाकू का सेवन नहीं करते हैं,
4. वे शराब नहीं पीते हैं।

Result Mitra

- मतदाता की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए एवं उनका संबंध पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं चंडीगढ़ के सिख समुदाय से होना चाहिए।
- 2011 के चुनावों में 5.6 मिलियन मतदाता पंजीकृत थे, जिनमें पंजाब से 5.27 मिलियन, हरियाणा से 3.37 लाख, हिमाचल प्रदेश से 23,011 एवं चंडीगढ़ से 11,932 मतदाता थे।

Note:– अब हरियाणा में अलग से सिख गुरूद्वारा प्रबंधन समिति हो गई इसलिए SGPC चुनाव में हरियाणा के मतदाता भाग नहीं लेंगे।

➢ चुनाव में देरी :

- 2003 में केंद्र सरकार ने SGPC चुनावों में भाग लेने के सहजदारी सिखों (बाल कटे सिख) को मतदाता के रूप में अनुमति नहीं दी, जिसके आधार पर 2011 में चुनाव करवाए गए।
- 2011 (Dec) में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार के फैसले को रद्द करते हुए सहजधारी सिखों को मतदान करने की अनुमति प्रदान की।
- HC के आदेश के खिलाफ SGPC ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया, जिससे SGPC को 2016 तक के लिए बहाल कर दिया।
- 2022 में पंजाब में आम आदमी पार्टी के द्वारा चुनाव जीते जाने पर जल्द ही SGPC चुनाव कराए जाने की बात कही गई थी।

Result Mitra